



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA : 11 /2026

No. 2026/AC--II/9/1/Pt 2/e3533304

New Delhi, dated 15.05.2026

1. General Managers/FA&CAOs etc(As per standard List I)
2. All attached offices/Subordinate Offices (As per standard List II)

Sub: Amendment to the scheme of Payment of Railway Pension through PSBs- Authorization of PFA/SCOR for issue of Pension Payment orders(PPOs)

Advanced Correction Slip **No 59** amending Annexure II-J , Chapter X ,Indian Railway Code for Accounts Department, part-I 9Second Reprint, 1997) to authorize Pr. Financial Advisor/South Coast Railway/ Visakhapatnam is enclosed for necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Digitally signed by

RAJAT AGARWAL

Date: 15-05-2026

12:35:37

(Rajat Agarwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No.011- 23047018

Email id : rajat.agarwal91@gov.in

Copy to

- a. General Manager, Reserve Bank of India, Dept. of Govt & Bank Accounts, Central Office, Opp Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008.
- b. Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantak Bhawan, E-Block, GPO Complex, Behind DDA Headquarters, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi
- c. Dy. C&AG of India (Railways, Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 45 spare copies)
- d. Joint Secretary, Dept of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT ,6,CGO Complex, New Delhi - 110003
- e. Gen Secy, NFIR/AIRF, New Delhi.
- f. F(E) III, PAO/RB, ERB-I,II,III,IV,V,AC-III,AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection

Advance correction slip No. 59

**Indian Railway Code for Accounts Department , Part-I (Second
Reprint Edition 1997)**

**Correction slip to the Scheme of Payment of pension through Public
Sector Banks**

Add the following under the list of FA&CAO authorized on Indian
Railways to issue pension Payment orders:

Pr. Financial Advisor/South Coast Railway/Visakhapatnam.

The existing list may be updated accordingly.

(Authority: 2026/AC-II/9/1-Part(2)//3533304 dt 15.05.2026)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए : 11/2026

सं.2026/एसी-11/9/1/पार्ट 2/ई3533304

नई दिल्ली, दिनांक 15.05.2026

1. महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी आदि (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संलग्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: पीएसबी के माध्यम से रेलवे पेंशन के भुगतान की योजना में संशोधन - पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने हेतु प्रधान वित्त सलाहकार/दक्षिण तट रेलवे को प्राधिकृत करना।

प्रधान वित्त सलाहकार/दक्षिण तट रेलवे/विशाखापट्टनम को प्राधिकृत करने के लिए भारतीय रेल लेखा संहिता, भाग-1 (द्वितीय पुनर्मुद्रण, 1997) के अध्याय X के अनुलग्नक II-जे को संशोधित करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 59 इस पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

कृपया पावती दें।

इ.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष 011-23047018

ईमेल आईडी : rajat.agarwal91@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

- क. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008
- ख. लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, डीडीए मुख्यालय के पीछे, विकास सदन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली
- ग. भारत के उप महानियंत्रक लेखापरीक्षा (रेलवे) कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
- घ. संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003
- ङ. महासचिव, एनएफआईआर/एआईआरएफ, नई दिल्ली
- च. एफ(ई)III, पीएओ/आरबी, ईआरबी-I,II,III,IV,V,एसी-III, एसी-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 59

भारतीय रेल लेखा संहिता, भाग-1 (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण, 1997)

निजी क्षेत्र के रैकों के माध्यम से पेंशन भुगतान योजना के लिए शुद्धि पर्ची

पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु भारतीय रेल में प्राधिकृत वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सूची में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

प्रधान वित्त सलाहकार/दक्षिण तट रेलवे/विशाखापट्टनम।

तदनुसार मौजूदा सूची का अद्यतन किया जाए।

(प्राधिकार : दिनांक 15.05.2026 का सं.2026/एसी-11/9/1/पार्ट 2/ई3533304)